

1.	विभाग	दिव्यांगजन सशक्तिकरण
2.	योजना का नाम –	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग व श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/– से अधिक न हो (मा0 सांसद, मा0 विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले का प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा ) को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण आदि के क्रय हेतु वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि रू0 8000/– तक अनुमन्य होगी।
4.	पात्रता की अर्हता–	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/– से अधिक न हा
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन वांछित अभिलेखो सहित
6.	लिंक वेबसाईट	<a href="http://sspy-up.gov.in/">http://sspy-up.gov.in/</a>
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अथवा उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।